उत्तराखण्ड परा–चिकित्सा परिषद

कार्यालय–म0सं0–01, लेन नं0–06, पुष्प कुंज कॉलोनी, मोथरावाला रोड़, देहरादून–248121

फोन सं0 0135–2976030 uttarakhandparamedicalcouncil3@gmail.com

पत्रांकः–र–20 / उ0परा0चि0प0 / 111 / 2021 / 19256 दिनांक 26 जुलाई, 2024

सेवा में

प्राचार्य / प्रधानाचार्य,
क्वान्टम स्कूल ऑफ हैल्थ साइन्सेज,
क्वान्टम विश्वविद्यालय, रुड़की।

विषय– उत्तराखण्ड राज्य में परा–चिकित्सकीय संस्थानों / विश्वविद्यालयों में परा–चिकित्सकीय पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु मान्यता प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड परा–चिकित्सा परिषद अधिनियम, 2009 की धारा 20 एवं उत्तराखण्ड परा–चिकित्सा परिषद विनियम, 2014 के विनियम 17 भाग–ग के उपविनियम 06 पैरा 08 (आठ) के कम में उत्तराखण्ड राज्य में संचालित निजी / सरकारी पैरा–मेडिकल विश्वविद्यालय / संस्थान में परा–चिकित्सकीय पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तराखण्ड परा–चिकित्सा परिषद कार्यालय के पत्रांक–र–20 / उ0परा चि0प0 / 111 / 2021 / 19178, दिनांक 27 जून 2024 के कम में दिनांक 22.06.2024 को संस्थान का निरीक्षण दल द्वारा स्थलीय / भौतिक निरीक्षण किया गया।

2– चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, के शासनादेश संख्या–139 / XXVIII(6)2021–11(पैरा0) / 2020 दिनांक–30, मार्च, 2021 एवं शासनादेश संख्या–41 / XXVIII(6)2024 दिनांक–08, फरवरी 2024 द्वारा संस्थान को निम्नलिखित परा–चिकित्सकीय पाठ्यक्रमों के संचालनार्थ अनापत्ति / अनुमति प्रदान की गई है:–

क्र0 सं0	संस्थान का नाम	स्वीकृत पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीटों की संख्या
01	क्वान्टम स्कूल ऑफ हैल्थ साइन्सेज, रुड़की।	बी0एम0एल0टी0	30
		बी0एम0आर0आई0टी0	30
		बी0पी0टी0	30

3– उपरोक्तानुसार संस्थान द्वारा उक्त 03 पाठ्यकमों के वर्ष 2024–25 में संचालनार्थ मान्यता हेतु परिषद कार्यालय में किये गये आवेदन के कम में इस हेतु निरीक्षण दल द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त दस्तावेज, शपथ पत्र एवं दी गई संस्तुति के आधार पर संस्थान को शैक्षणिक सत्र 2024–25 हेतु उक्त परा–चिकित्सकीय पाठ्यकमों के संचालन हेतु अस्थायी मान्यता प्रदान की जाती है।

4– आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर भविष्य में कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो संस्थान का स्थलीय औचक निरीक्षण किया जाएगा। उक्त दस्तावेजों के अनुसार व्यवस्थायें पूर्ण नहीं पायी जाती है तो इस सम्बन्ध में नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जाएगी।

भवदीय

सचिव / रजिस्ट्रार
उत्तराखण्ड परा–चिकित्सा परिषद।